बृजमोहन अग्रवाल
सांसद,
रायपुर लोकसभा क्षेत्र
एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

निवास : बी-5/1, शंकर नगर, रायपुर
फोन नं. : 0771-2331070, 2331011
फैक्स नं.: 0771-4049410
ई-मेल : bm.raipur@sansad.nic.in
bm.raipur@gmail.com

क्रमांक 3887 **/सांसद रायपुर लोकसभा/**25

रायपुर, दिनांक 07/06/2025

प्रति,

मानननीय मुख्यमंत्री जी
छत्तीसगढ़ शासन।

विषय :— **ग्राम पंचायत नकटी विकासखंड धरसीवां, जिला रायपुर में खसरा नं. 460 रकबा 15.4790 हे. भूमि में निर्माण पर ग्राम पंचायत की आपत्ति को मान्य करते हुए यथा स्थिति बनाए रखने हेतु निर्देशित करने बाबत्।**

— 0 —

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत नकटी विकासखंड धरसीवां, जिला रायपुर में खसरा नं. 460 रकबा 15.4790 हे. भूमि में शासन द्वारा निर्माण कराये जाने के लिए वहां पर वर्षो से बसे हुए 80 से अधिक घरों को उजाड़ने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिस पर ग्राम पंचायत एवं ग्राम वासियों द्वारा आपत्ति की गई है।

ग्रामवासी उक्त खसरे पर जिसमें वे काबिज है को छोड़कर शेष भूमि पर निर्माण की बात कर रहे है या फिर उक्त निर्माण को किसी अन्य स्थान पर करने की मांग कर रहे है। माननीय श्री देवजी भाई पटेल पूर्व विधायक धरसीवां ने भी इस विषय में मुझसे चर्चा उपरांत ग्राम वासियों से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा ने विधिवत् नियमों के तहत् ग्राम पंचायत / ग्राम सभा संयुक्त बैठक में ग्राम नकटी स्थित खसरा नं. 460 रका 15.4790 हे. भूमि जो गांव के ही पूर्वजों द्वारा सम्मिलित भूमि है जिसे चारागाह के लिए जनहित में सुरक्षित एवं संरक्षित रखा गया है। उक्त संरक्षित भूमि पर छ.ग. हाउसिंग बोर्ड व विधायक कालोनी निर्माण की कार्यवाही प्रशासन द्वारा किया जा रही है। उक्त कालोनी के निर्माण के लिए ग्राम नकटी के संयुक्त चारागाह की भूमि में बसे लोगों को बेदखली करने की भी कार्यवाही की जा रही है जो कि मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उक्त भूमि पर गांव के ग्रामीण जन ग्राम पंचायत की व्यवस्था के अनुरूप रहने के लिए आवास बनाकर रहे है अनके लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् मकान का निर्माण भी किया है वहीं ग्राम वासियों के लिए सामुदायिक भवन आंगन बाड़ी केन्द्र जैसे अनके शासकीय योजनाओं के भवन भी वहां पर बने हुए है। वहां पर निवासरत् लगभग गरीब परिवार के लोग है एवं मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रहे है।

क्रमशः पेज क्र...2

Scanned with OKEN Scanner

बृजमोहन अग्रवाल
सांसद,
रायपुर लोकसभा क्षेत्र
एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

निवास : बी-5/1, शंकर नगर, रायपुर
फोन नं. : 0771-2331070, 2331011
फैक्स नं.: 0771-4049410
ई-मेल : bm.raipur@sansad.nic.in
bm.raipur@gmail.com

क्रमांक 3887 /सांसद रायपुर लोकसभा/25 रायपुर, दिनांक 07/06/2025

ग्राम नकटी के चारागाह में निर्मित गरीब परिवार के आवास को हटाकर छ.ग. हाउसिंग बोर्ड द्वारा वहां पर विधायक कालोनी निर्माण कराया जाना उचित नहीं है। गरीबों के आवास को छोड़कर शेष जमीन पर ही विधायक कॉलोनी के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए।

कृपया जनहित में ग्राम पंचायत नकटी विकासखंड धरसीवां खसरा नं. 460 रका 15.4790 हे. भूमि में छ.ग. हाउसिंग बोर्ड द्वारा विधायक कालोनी निर्माण पर रोक लगाने हेतु समुचित निर्देश प्रदान करने का कष्ट करेगे।

सादर,

(बृजमोहन अग्रवाल)

संलग्न प्रतिलिपी –

1. माननीय पूर्व विधायक धरसींवा श्री देवजी भाई पटेल का ज्ञापन।
2. ग्राम पंचायत नकटी का आपको सम्बोधित पत्र।
3. ग्राम पंचायत नकटी का 8/10/2024 को ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही की प्रतिलिपि।

(बृजमोहन अग्रवाल)

Scanned with OKEN Scanner

देवजी भाई पटेल

अध्यक्ष : छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर (छ.ग.)
विधायक : धरसींवा (क्षेत्र क्रमांक-47), रायपुर (छ.ग.)
पूर्व अध्यक्ष : छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन, रायपुर (छ.ग.)
पूर्व अध्यक्ष : कृषि उपज मण्डी समिति, रायपुर (छ.ग.)
सदस्य : छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड
सदस्य : द.पू.म.रे. मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति

छत्तीसगढ़ शासन

निवास : सरस्वती सॉ मिल, बिलासपुर रोड, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771-4050944
0771-2881700
फैक्स : 0771-2881700
ई-मेल : devji2605@gmail.com

पत्र क्र. : 04/2025-2026

दिनांक 03/06/2025

प्रति,

मान. श्री बृजमोहन अग्रवाल जी,
सांसद रायपुर लोकसभा क्षेत्र
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषयः- ग्राम पंचायत नकटी (विकासखंड-धरसींवा) खसरा नं 460 रकबा 15.4790 हे0 भूमि में छ.ग. हाऊसिंग बोर्ड व विधायक कालोनी निर्माण पर पंचायत/ग्राम की आपत्ति को मान्य करते हुए वर्तमान बसाहट को यथास्थिति बनाए रखने बाबत्।

संदर्भः- ग्राम पंचायत नकटी, विकासखंड धरसींवा जिला रायपुर के ग्राम पंचायत/ग्राम सभा से पारित सर्वसम्मति निर्णय दिनांक 08/10/2024

---000---

महोदय,

विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है, कृपया अवलोकन हो। ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा ने विधिमान्य नियमों के तहत ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में ग्राम नकटी स्थित खसरा नं 460, रकबा 15.4790 हे0 भूमि जो गांव के ही पूर्वजों द्वारा शामलात भूमि है, जिसे चारागाह के लिए जनहित में सुरक्षित/संरक्षित रखा गया है। उसी भूमि पर मुझे ज्ञात हुआ है कि, छ0ग0 हाऊसिंग बोर्ड एवं विधायक कालोनी के लिए विगत समयय से कार्यवाही प्रचलित है। मुझे यह भी ज्ञात कराया गया है कि, शासन/प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी नियम विरूध्द ग्राम नकटी के संयुक्त चारागाह की भूमि में बसे लोगों को बेदखली की भी कार्यवाही कर रही है, जो ना तो शासन के नीतिनियमों के आधार पर सही है, और ना ही मानवीय दृष्टिकोण से उचित भी है। वर्तमान में उक्त खसरा के भूमि में लगभग 500 से अधिक मकान में 3000 से अधिक आबादी निवासरत है, जिसके लिए इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था भी नही है, सभी परिवार ग्राम नकटी के ही है, जो परिवार की संख्या बढ़ने से ही गांव की भूमि पर ग्राम पंचायत के व्यवस्था अनुरूप अपने रहने के लायक आवास बनाकर रह रहे है, सभी गरीब परिवार के है, मजदूरी ही इनका जीवन-यापन का माध्यम है।

Scanned with OKEN Scanner

देवजी भाई पटेल

अध्यक्ष : छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर (छ.ग.)
विधायक : धरसींवा (क्षेत्र क्रमांक-47), रायपुर (छ.ग.)
पूर्व अध्यक्ष : छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन, रायपुर (छ.ग.)
पूर्व अध्यक्ष : कृषि उपज मण्डी समिति, रायपुर (छ.ग.)
सदस्य : छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड
सदस्य : द.पू.म.रे. मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति

निवास : सरस्वती सॉ मिल, बिलासपुर रोड, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771-4050944
0771-2881700
फैक्स : 0771-2881700
ई-मेल : devji2605@gmail.com

पत्र क्र. :

दिनांक ....

माननीय महोदय, एनआरडीए के द्वारा पूर्व में बड़े-बड़े बिल्डरों एवं व्यापारियों को लीज पर शासकीय भूमि का आबंटन किया जा रहा है, साथ ही सरकार के विभिन्न भवनों मंत्रालय, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के निवास के साथ नवीन विधानसभा भवन भी नया रायपुर के क्षेत्र में निर्मित किया गया है, तो क्यों ना नवीन विधायक निवास भी नया रायपुर में बनाया जाये। इसके अतिरिक्त रायपुर शहर में भी भू-माफियाओं द्वारा षडयंत्र पूर्वक भूमि का कब्जा किया गया है, परंतु उनपर कार्यवाही न करते हुए क्यों केवल गरीब के आवास पर ही प्रशासनिक अधिकारियों की नजरे है। सुशासन के इस त्यौहार में अधिकारियों द्वारा किए इस कृत्य से ग्रामवासियों सहित धरसींवा की जनता में सरकार के प्रति संदेह उत्पन्न हो रहा है, या अधिकारियों द्वारा केवल सरकार को गुमराह/बदनाम किया जा रहा है।

आपसे आग्रह है कि, ग्राम नकटी के संयुक्त चारागाह की भूमि के बसाहट को जनहित में यथास्थिति बनाए रखने के लिए विधिसंगत निर्णय लेकर ग्रामीणों (गरीबों) को संरक्षण प्रदान करेंगे, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी/विधायक कालोनी बनाए जाने के लिए किसी गांव के बसाहट को हटाना किसी भी रूप में उचित प्रतीत नही होता। आशा है कि आपका संरक्षण ग्रामीणों को मिलेगा।

संलग्नः-

1. ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा का विधायक कालोनी निर्माण का आपत्ति पत्र/प्रस्ताव।
2. वर्ष 1940-41 से भूमि स्वामियों के नाम जो शामलित चारागाह में शामिल है।

(देवजी भाई पटेल)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय

ग्राम पंचायत नकटी (सम्मानपुर)

विकास खण्ड- धरसींवा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

सरपंच
श्रीमती कुमुंद टंडन
मो.: 9977559862

उपसरपंच
श्रीमती चमेली साहू
मो.: 6263722801

: निवास स्थान :
ग्राम- सम्मानपुर (नकटी)
रायपुर (छ.ग.)

पंचगण

- श्रीमती भारती साहू
- श्री मनहरण साहू (मोनू)
- श्रीमती पुष्पा मानिकपुरी
- श्री खेमलाल साहू
- श्रीमती सुखीया साहू
- श्रीमती बुधवंतीन साहू
- श्री सुनील कुमार सारंग
- श्रीमती बृजबाई ढीढी
- श्रीमती बिमला टंडन
- श्रीमती सोनी बंजारे
- श्रीमती पुर्णिमा टंडन
- श्रीमती पार्वती यादव
- श्रीमती कुंती साहू
- श्री गेंदकुमार टंडन
- श्री केवलराम पाल
- श्री मुकेश कुमार पाल

क्रमांक　　　　　　　　　　　　　　दिनांक:.........................

प्रति ,

मानानीय श्रीमान विष्णुदेव साय जी,
गुख्यामंत्री छत्तीसगढ शासन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग).

विषयः— ग्राम पंचायत नकटी में खसरा नं. 460 में हाउसिंग बोर्ड व विधायक कलौनी निर्माण पर अपत्ति बावत्

महोदय,

उपरोक्त विषययांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत नकटी मे ग्रामसभा के बैठक दिनांक 04/09/2024 को हुआ है प्रस्ताव क्रं. 13 मे समस्त ग्रामवासी ,सरपंच एवं पंचो के द्वारा खसरा नं. 460 के रकबा (15.4790 हे.) भुमि पर हाउसिंग बोर्ड व विधायक कलौनी बनाने पर अपत्ति किया है , क्योकि उक्त खसरा नं. 460 पर विगत कई वर्षो से ग्रामवासी निवास रथ है जिस पर घनी आबदी बसा हुआ है यह पस्ताव सर्व सम्मति से परित किया गया है ।

अंतः माननीय महोदय से निवेदन है कि खसरा नं. 460 पर हाउसिंग बोर्ड व विधायक कलौनी निर्माण पर अपत्ति दर्ज कराने के असीम कृपा करे ।

चमेली साहू
उप सरपंच
ग्राम पंचायत नकटी (सम्मानपुर)
विकास खण्ड-धरसींवा (छ.ग.)

कुमुंद
सरपंच
ग्राम पंचायत नकटी
जं. धरसींवा, जि. रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय

ग्राम पंचायत नकटी (सम्मानपुर)

विकास खण्ड- धरसींवा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

सरपंच
श्रीमती कुमुंद टंडन
मो.: 9977559862

उपसरपंच
श्रीमती चमेली साहू
मो.: 6263722801

: निवास स्थान :
ग्राम- सम्मानपुर (नकटी)
रायपुर (छ.ग.)

पंचगण
श्रीमती भारती साहू
श्री मनहरण साहू (मोनू)
श्रीमती पुष्पा मानिकपुरी
श्री खेमलाल साहू
श्रीमती सुखीया साहू
श्रीमती बुधवंतीन साहू
श्री सुनील कुमार सारंग
श्रीमती बृजबाई ढीढी
श्रीमती बिमला टंडन
श्रीमती सोनी बंजारे
श्रीमती पुर्णिमा टंडन
श्रीमती पार्वती यादव
श्रीमती कुंती साहू .
श्री गेंदकुमार टंडन
श्री केवलराम पाल
श्री मुकेश कुमार पाल

क्रमांक   दिनांक:..........................

प्रति ,

मानीय श्रीमान विष्णुदेव साय जी,
मुख्यामंत्री छत्तीसगढ शासन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग).

विषयः— ग्राम पंचायत नकटी में खसरा नं. 460 में हाउसिंग बोर्ड व विधायक कलौनी निर्माण पर अपत्ति बावत्

महोदय,

उपरोक्त विषययांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत नकटी मे ग्रामसभा के बैठक दिनांक 04/09/2024 को हुआ है प्रस्ताव कं. 13 मे समस्त ग्रामवासी ,सरपंच एवं पंचो के द्वारा खसरा नं. 460 के रकवा (15.4790 हे.) भुमि पर हाउसिंग बोर्ड व विधायक कलौनी बनाने पर अपत्ति किया है , क्योकि उक्त खसरा नं. 460 पर विगत कई वर्षो से ग्रामवासी निवास रथ है जिस पर घनी आबदी बसा हुआ है यह परस्ताव सर्व सम्मति से परित किया गया है ।

अंतः माननीय महोदय से निवेदन है कि खसरा नं. 460 पर हाउसिंग बोर्ड व विधायक कलौनी निर्माण पर आपत्ति दर्ज कराने के असीम कृपा करे ।

चमेली साहू
उप सरपंच
ग्राम पंचायत नकटी (सम्मानपुर)
विकास खण्ड धरसींवा (छ.ग.)

कुमुंद
सरपंच
ग्राम पंचायत नकटी
वि.ख. धरसींवा, जि. रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ग्राम पंचायत नकटी, दिनांक 08/10/2024 बैठक की कार्यवाही नक़ल
विकासखंड- धरसीवा, तहसील- रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

क्र	उपस्थित ग्रामीण के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुवा	पंचो के हस्ताक्षर
	ग्रामसभा के बैठक	प्र. क्र. 11 खसरा नं. 460 मे. अपत्ति बाबत् प्रस्ताव।	**प्र. क्र. 11संदर्भित विषय के संबंध में आज** दिनांक 08/10/2024ग्राम सभा का बैठक रखा गया जिसमे उपस्थित ग्रामवासी एवं सरपंच पंचो द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत नकटी में ग्राम सभा के बैठक मे शामलात चारागाह जमीन खसरा नं. 460 का रकबा 15. 4790 हे.स्थित भुमि (शामलात चारागाह) जो कि ग्रामीण के पुर्वजो द्वारा सर्वजानिक शामलात चारागाह हेतू जमीन छोडा गया है लेकिन परिवार के अबादी बडी हो जाने के कारण परिवार के पुर्वजो द्वारा छोडी गई शामलात चारागाह जमीन पर पुर्वजो के परिवार बड जाने के कारण कई वर्षो से घनी अबादी बसी जा चुकि है खसरा क. 460 रकबा 15.4790 हे. पर शासन कि किसी प्रकार कि हाउसिंग बोर्ड एव विधायक कलौनी बनाने पर ग्रामसभा एवं ग्रामीणो को अपत्ति है यह प्रस्तवा सर्व सम्मति से पारित किया गया है।	यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ।	सही
	SAGAR SAHU		चमेली साहू उप सरपंच ग्राम पंचायत नकटी (सामान्य) विकास खण्ड-धरसींवा सचिव, ग्राम पंचायत नकटी विकास खण्ड धरसींवा रायपुर (छ. ग.)	कुमुद सरपंच ग्राम पंचायत नकटी ज. धरसींवा, जि. रायपुर (छ.ग.)	पंच मुकेश पाल वार्ड क्र. (17) पंच पुष्पा भारती साहू वार्ड क्र. (2) वार्ड क्र. 5 वार्ड-03 बुधवन्तीन साहू वार्ड क्र. सुरिया पार्वती Kundi sahu सही
	दिनांक 08/10/2024	सत्यप्रतिलिपि	सचिव	सरपंच	

हकबंदी मिसल ग्राम [illegible] प.ह.नं. १०४ तहसील
जिला रायपुर सन १९५० [illegible]

C 9

फर्द कब्जा

[illegible] खेवट नंबर ... उन रकबों ... जिनके कोई हक नहीं है	कब्जेदार का नाम	मालिक का नाम, बाप का नाम, कौम और सकूनत और अगर हिस्सेदार हो तो हिस्से की तादाद.	खसरा नम्बर	[illegible] का रकबा	नगद.	गल्ला.	मीजान
१	२	३	४	५	६	७	८
४६	रामू व. छेदू सतनामी रामाराम [illegible]	राम भरोसा [illegible] मालगुजार [illegible]	४६०	३-२२	[illegible]		[illegible]
	[illegible] सखाराम [illegible] तेली		४६६	०-२६			
	[illegible] सतधारी [illegible]		४२४	६०-४५			
	[illegible] कारत [illegible]		४५५	०-१८			
	[illegible]		४	५०६४			

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]/2011
मुख्य प्रतिलिपिक
[illegible] का कार्यालय
रायपुर

[illegible] 1618

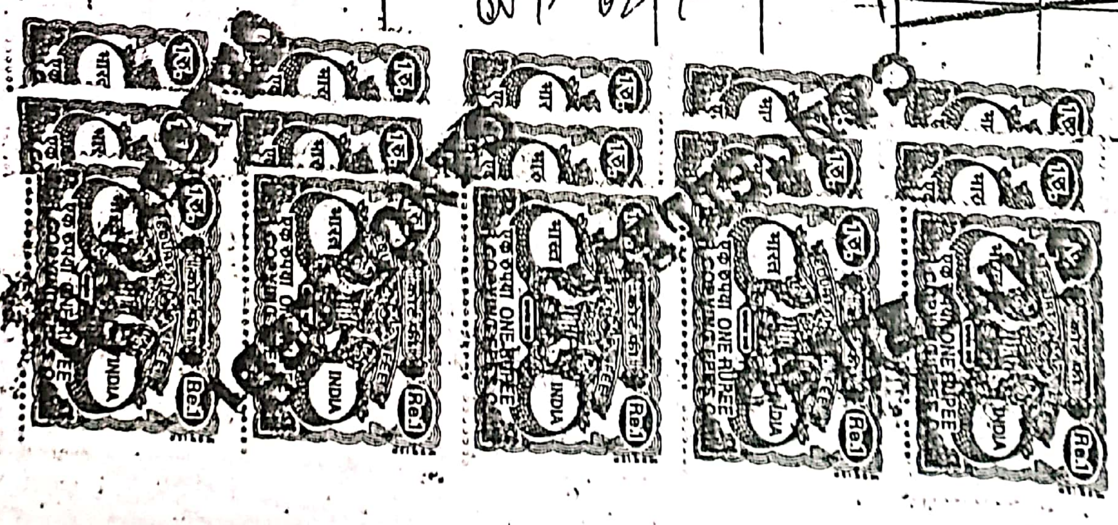

सटेशन) जमाबंदी

न अंबर कोई हो	[illegible] लगान पृथक कर्त्त वह यहां में शामिल नहीं है					
लगान	[illegible]	[illegible]	[illegible]	लगान प्रमाणित दर (यानी डिस्प्यूटेड रेन्ट)	लगान मुतजविजा	कैफियत
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
						[illegible] पत्नी [illegible] सा[illegible] १-५० [illegible] कल्लू [illegible] ५०
						[illegible] व [illegible] -५० [illegible] व [illegible] [illegible] २-००
						[illegible] ६० [illegible] व दीपचंद [illegible] १-५०
						[illegible] व रामचंद [illegible] १-५० [illegible] व [illegible] २-५०
						[illegible] व [illegible] २-५० [illegible] व [illegible] ०-५०
						[illegible] व [illegible] ०-५० [illegible] व [illegible] ०-५०
						[illegible] व [illegible] १-०० [illegible] व [illegible] ०-५०
						[illegible] व [illegible] ०-५० [illegible] व मोहन [illegible] ०-५०
						[illegible] व [illegible] १-०० [illegible] व [illegible] ०-२५
						[illegible] व [illegible] १-०० [illegible] व [illegible] ०-५० [illegible] व [illegible] ०-५० [illegible] व [illegible] १-००

सत्य प्रतिलिपि
16/8/2017
[illegible] प्रतिलिपि
[illegible] का कार्यालय
[illegible]

[illegible] मिसल [illegible] [illegible] प.ह.नं. १०४ तहसील
जिला नागपुर साल १९४०-४१ [illegible]

		फी उठ हक					
[illegible] जिनके कोई हक नहीं है.	कब्जेदार का नाम	मालिक का नाम, बाप का नाम, कुल और सकूनत और अगर हिस्सेदार हो तो हिस्से की तादाद.	[illegible]	[illegible]	[illegible] का रकबा	नगद. / [illegible] और कीमत	मीजान
१	२	३	४	५			८
		[illegible] मालगुजार [illegible]	+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			

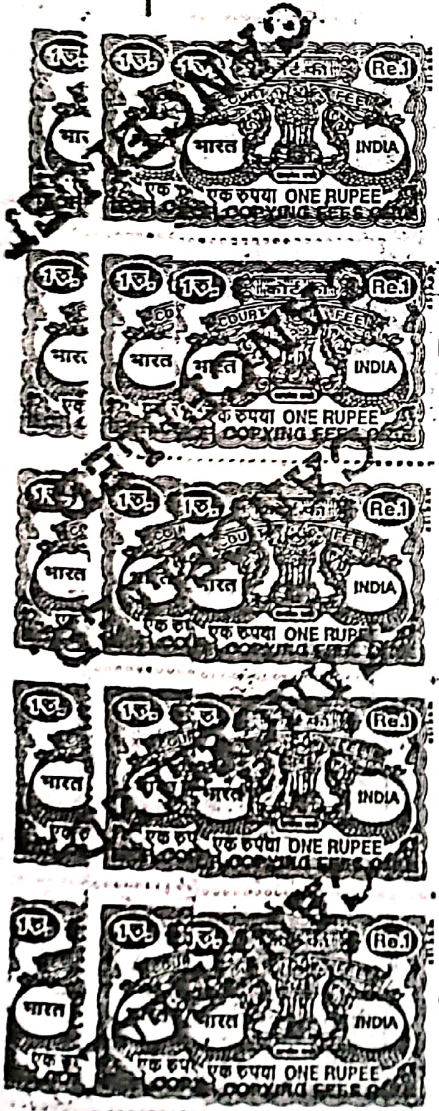

[illegible]

सटेशन) जमाबंदी

न अगर कोई हो	कार्योत्तर लगान एवं उपकर जो शामिल नहीं है					
रुपया.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	लगान छूट (वाईव्ड रेन्ट)	लगान मुजराई	कैफियत
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
						[illegible] व. [illegible] सत. ०-२१ [illegible]लाल व. [illegible] ०-२१ [illegible] व. [illegible] मदन व. [illegible] १-८ [illegible] व. [illegible] ०-२ [illegible] व. [illegible] ०-२ चमन व. [illegible] ०-४० हिरालाल व. [illegible] सत. १-५० [illegible] व. [illegible] ०-२४ [illegible] व. [illegible] [illegible] व. [illegible] ०-४० [illegible] ०-४० [illegible] व. [illegible] २-१० [illegible] अली व. [illegible] अली [illegible] [illegible] व. [illegible] ०-४० [illegible] व. [illegible] ०-४० [illegible]राम व. [illegible] १-००

[illegible]राम व. [illegible] १-००

सत्य प्रतिलिपि
16/8/201[illegible]
[illegible]

खतौनी मिसल ग्राम अकनी ५६६० १०४ तहसील जिला रामपुर सन १९५० ५१ ई

[illegible] हक़ वह हक़ [illegible] दार [illegible] उन रक़बों [illegible] मक़बूजा हों न लोगों के जिनके कोई हक़ नहीं है	कब्जेदार का नाम	मालिक का नाम, बाप का नाम, क़ौम और सकूनत और अगर हिस्सेदार हो तो हिस्से की तादाद	[illegible]	[illegible] का रक़बा	नगद	[illegible] और कीमत [illegible]	[illegible] जान
१	२	३	४	५	६	७	८
		रामभरोसा वल्द [illegible] मालगुजार [illegible]	+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
		[illegible]	+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			

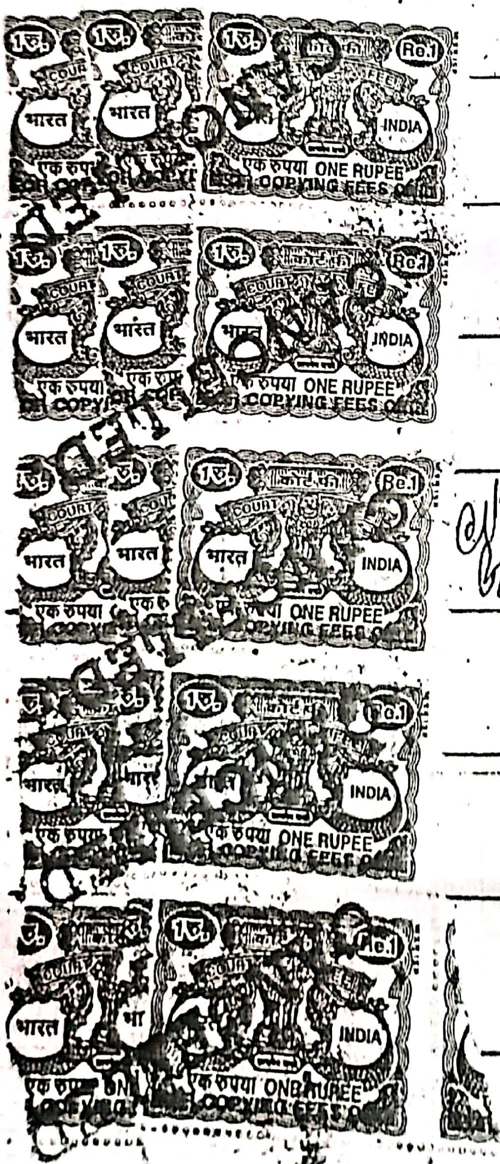

सटेशन) जमाबंदी

न अगर कोई हो	[illegible] लगान [illegible] शामिल नहीं है					
लगान	[illegible]	[illegible]	[illegible]	लगान [illegible] छूटा (यावे डिड्यूस्ड रेन्ट)	लगान मुतअल्लिका	कैफियत
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
						[illegible] व. [illegible] तेली ०.५०
						[illegible] व. [illegible] तेली १.००
						[illegible] व. [illegible] तेली ०.५०
						[illegible] व. महाजन तेली १.५०
						[illegible] व. [illegible] तेली १.००
						[illegible] व. सितराम तेली ०.५०
						[illegible] व. [illegible] पनका ०.५०
						सीताराम व. [illegible] तेली ०.२५
						[illegible] व. [illegible] तेली १.५०
						[illegible] व. [illegible] १.५०
						[illegible] व. [illegible] १.००
						[illegible] व. [illegible] तेली १.००
						रामप्रसाद व. [illegible] तेली १.००
						[illegible] वल्द [illegible] १.५०
						[illegible] तेली ०.५०
						[illegible] व. [illegible] ०.५०
						[illegible] व. सीताराम तेली ०.५०
						[illegible] व. चैतू तेली ०.५०

सत्य प्रतिलिपि
16/6/2010
[illegible]
रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

…बंदी मिसल ग्राम [illegible] तहसील
जिला रामपुर सन १९४०-४१ ई०

फर्द जमा हक							
ठेकेदार नम्बर … जिनके कोई हक नहीं है	कब्जेदार का नाम	मालिक का नाम, बाप का नाम, कुल और सकूनत और अगर हिस्सेदार हो तो हिस्से की तादाद.	[illegible]	[illegible]	नगद	और [illegible]	मीयाद
१	२	३	४	५	६	७	८
		ग्रामसभा खाली मालगुजार ठेकेदार	+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+			
			+	+